(नियम 26)

अज अदालत––जिला कलक्टर मुकाम : दौसा

बाबूलाल बनाम हरिनारायण वगै0

किस्म मुकदमा–प्रा0पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 नम्बर–05 सन्– 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.7.2023	अधिवक्ता प्रार्थीगण अनुपस्थित। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 अनुपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीगण को बार–2 आवाज दिलवाई गई किन्तु वे अनुपस्थित रहे। राजकीय अधिवक्ता को एकतरफा सुना गया। राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पूर्व में माननीय न्यायालय जिला कलक्टर दौसा में विचाराधीन प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 उनवानी नानगा वगै0 बनाम हरिनारायण वगै0 प्रकरण संख्या 03/1992 विचाराधीन था, जिसमें माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.11.1993 के द्वारा गुणावगुण के आधार पर सुनवाई कर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज कर अप्रार्थी हरिनारायण पुत्र धन्ना मीणा निवासी ग्राम हापावास को दिनांक 01.06.1989 को ग्राम बासना स्थित आराजी खसरा नंबर 1034/1 रकबा 1.52है. का आवंटन आदेश बहाल रखा गया है। तत्पश्चात एक अन्य प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 प्रकरण सं0 111/2010 उनवानी रामकिशोर बनाम भू आवंटन सलाहकार समिति एवं अन्य के द्वारा पुनः इसी आवंटन आदेश को चुनौती दी गई जिसे भी माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.12.2012 के द्वारा प्रार्थी का प्रा.पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 को खारिज किया जाकर प्रश्नगत आवंटन को बहाल रखा गया है। न्याय का यह सिद्धान्त है कि एक बार न्यायालय से जिस आवंटन आदेश का गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित कर दिया गया है, उसे पुनः उसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। प्रकरण में रेस ज्युडिकेटा लागू होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970 खारिज फरमाया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.11. 1993 एवं 12.12.2012 का अवलोकन किया गया। प्रकरण संख्या 03/1992 उनवानी नानगा वगै0 बनाम हरिनारायण एवं प्रकरण सं0 111/2010 उनवानी रामकिशोर बनाम भू आवंटन सलाहकार समिति एवं अन्य में पारित को निर्णय जो कि मैरिट के आधार पर किये गये है, के अनुसार प्रार्थीगणों के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों 14(4) आवंटन नियम 1970 को खारिज किया जाकर आवंटी हरिनारायण पुत्र धन्ना मीणा निवासी हापावास को ग्राम बासना के खसरा नंबर 1034/1 रकबा 1.52 है. का किया गया आवंटन बहाल रखा गया है। एक बार न्यायालय द्वारा किसी प्रकरण में निर्णय पारित किया जा चुका है, उसे कानूनन पुनः उसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। राजकीय अधिवक्ता के इस कथन से हम सहमत हैं कि प्रकरण में रेस ज्यूडिकेटा लागू होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो। खुले न्यायालय सुनाया गया। जिला कलक्टर दौसा	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official